



2026:AHC-LKO:6043-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 675 सन 2026

शाह यास्मीन बानू @ यास्मीन बानो एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव शहरी

विकास लखनऊ एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : गौरव शुक्ला, सुयश शुक्ला

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आयुष चौधरी

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. अधिवक्ता श्री चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने प्रतिवादी संख्या 9 से 11 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. सुनवाई हुई।
3. याचिकाकर्ताओं द्वारा मानचित्र की स्वीकृति रद्द करने और प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृति देने के आदेश को वापस लेने हेतु दायर याचिका पर नगर पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र, यानी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चार सप्ताह के भीतर, विचार किया जाए और उसका निस्तारण किया जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए घर या जमीन के निकास और प्रवेश द्वार बंद करने से संबंधित अन्य शिकायत के संबंध में, यदि नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा ऐसा किया गया है, तो कार्यकारी अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यदि नगर पंचायत की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं को अन्य उपाय अपनाने होंगे। याचिकाकर्ताओं और किसी निजी पक्ष के बीच विवाद की स्थिति में हमारा आदेश हस्तक्षेप नहीं करेगा और ऐसे विवादों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 28, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।